राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

(i) नष्ट हो चुके यानों पर संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, की छूट देती है, यदि ऐसे यान के नष्ट होने की तारीख तक का संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार 31.07.2024 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है;

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) के अधीन नहीं आने वाले यानों पर 31.03.2023 तक के मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एकबारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज की छूट देती है, यदि,-

(क) कोई शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार 31.07.2024 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(ख) 31.03.2023 के पश्चात् संदेय मोटर यान कर, एक बारीय कर और अधिभार पर शोध्य शास्ति और ब्याज 31.07.2024 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है।

उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:-

(i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।

(ii) अधिभार, शास्ति या ब्याज, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की पूर्व में संदत्त रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(iii) छूट से संबंधित विवादों के मामले में परिवहन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण: यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/1]

राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)
उप शासन सचिव